



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 5 फरवरी, 2007/16 माघ, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 जनवरी, 2007

संख्या एफ.डी.एस.-बी (2)-1/95-लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप-निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उप-निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन एवं व्यावृत्तियां—(1) अधिसूचना संख्या 1-7/65-सी0एस0 तारीख 17-09-1966 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित रेक्यूटमेंट रूलज फॉर दी पोस्ट आफ डिप्टी डायरेक्टर, सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम-2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप-निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	उप-निदेशक
2.	पदों की संख्या	02 (दो)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-I (राजपत्रित)
4.	वेतनमान	7880-220-8100-275-10300-340-11660 रुपए
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	45 वर्ष और इससे कम :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी

भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृद्ध को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण :-

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें कि पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिये विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।

अनिवार्य अर्हतायें:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष हो।

(ii) सरकारी या ऐसे ही अन्य सरकारी या गैर सरकारी संगठन में प्राण्य आपूर्ति में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

वांछनीय अर्हतायें:

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता।

8. क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।

आयु : लागू नहीं

शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।

प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जायेगा।

जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले/अधीक्षक ग्रेड-I में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

(122)

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र अधिकारियों को उनके सेवाकाल के आधार पर उनके काडर बार पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जायेंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जायेंगे ।

स्पष्टीकरण:-

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर

नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना? जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए
13. परिस्थितियां जिनमें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती के लिए परामर्श लिया जाना है। जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा। किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन। सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
16. आरक्षण। सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा। सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति। जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

आदेश द्वारा,

परमिन्द्र हीरा माथुर,
अति० मुख्य सचिव (खा० ना० आ० एवं उ० मा०)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FDS-B(2)-1/95-Loose, dated 27-1-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th January, 2007

No. FDS-B(2)-1/95-Loose.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Class-I (Gazetted), in the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Deputy Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007. 11

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Recruitment Rules for the post of Deputy Director, Civil Supplies Department Himachal Pradesh Government notified *vide* notification No. 1-7/65-CS, dated 17-09-1966 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

ANNEXURE-“A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR, FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS, (CLASS-I, GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post	Deputy Director
2. Number of Posts	Two (2)
3. Classification	Class -I, Gazetted
4. Scale of Pay	: Rs. 7880-220-8100-275-10300-340-11660.

5. Whether selection post or non selection post?

Selection

6. Age for direct recruitment

45 years and below :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed, age-concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

- (2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits. *Essential qualification.*—(i) Graduate of a recognized University or its equivalent.
- (ii) 05 years practical experience in procurement supplies in Government or any other similar Government or non-Government Organisation.
- (ii) *Desirable Qualification(s).*—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees? *Age:* Not applicable
Educational Qualification: Not applicable
9. Period of probation, if any
Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.
By promotion failing which by deputation of an HAS officer failing both by direct recruitment.
11. In case by recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion /transfer is to be made.
By promotion from amongst the District Controller, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs/Superintendent Grade-I having three years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* rendered, if any in the grade.
- For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officers based on the length of service without disturbing their cadre-wise *inter-se* seniority shall be prepared.
- (1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length

of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all person senior to him in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that *inter-se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc*

- service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition? As may be constituted by the Govt. from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. to be consulted in making recruitment. As required under the law
14. Essential requirements for a direct recruitment. A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment. Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.
16. Reservation The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination Every member of the service shall pass a departmental Examination as prescribed in Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18. Power to relax Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H. P. Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s) relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

By order,

PARMINDER HIRA MATHUR,
Addl. Chief Secretary (FCS&CA).